संख्या-1184/चौवालिस-2-14/च.स./1987

प्रेषक,

श्री जे0 ए0 कल्याणकृष्णन्,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से सम्बन्धित
शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव।

2. राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्यमों/
नोएडा के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।

लखनऊ : दिनांक 30 नवम्बर, 1987।

विषय : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों/संस्थाओं में पदों के सृजन पर शासन का नियंत्रण।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम
अनुभाग-2

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या 695/चौवालिस-2-16/च.स./87, दिनांक 6 मई, 1987 के अनुक्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक उद्यमों में पदों के सृजन के संबंध में वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ऐसे समस्त पदों, जिनके वेतनमान का अधिकतम रु0 2500/- से अधिक है, के सृजन के प्रस्तावों पर मा0 वित्त मंत्री जी/ मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है तथा जिन पदों के वेतनमान का अधिकतम रु0 1770 से 2500 तक है, उनके सृजन के संबंध में वित्त सचिव/मुख्य सचिव स्तर तक का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है। परन्तु ऐसे पदों, जिनके वेतनमान का अधिकतम रु0 1770 से कम है, उनके सृजन के लिये संबंधित सार्वजनिक उद्यम स्वयं सक्षम है। इस व्यवस्था से संबंधित उद्यमों द्वारा रु0 1770 तक के अधिकतम वेतनमान के पदों का अपने स्तर से ही सृजन किया जाता रहा है। फलस्वरूप अधिकांश उद्यमों में ओवर स्टाफिंग है।

2. उक्त स्थिति को दृष्टिगत करते हुये राज्यपाल महोदय सांविधिक निगमों से संबंधित अधिनियमों/नियमों तथा कम्पनीज ऐक्ट, 1956 अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के आर्टीकिल्स आफ एसोसिएशन से संबंधित आर्टीकिल्स तथा उ0प्र0 सार्वजनिक निगमों पर नियंत्रण अधिनियम, 1975 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-41/1975) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह निदेश देते हैं कि सार्वजनिक उद्यमों/निगमों में ऐसे समस्त पदों, जिनके वेतनमान का अधिकतम रु0 1770 से कम है, उनके सृजन पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा, परन्तु यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार के पदों के सृजन की आवश्यकता अनुभव की जाय तो इस संबंध में संबंधित उद्यम के निदेशक मण्डल द्वारा पारित प्रस्ताव पर उद्यम के प्रशासकीय विभाग द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग के माध्यम से वित्त सचिव/मुख्य सचिव की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

3. इस सबंध में यह भी स्पष्ट करना है कि दिनांक 1 अक्टूबर, 1987 से केवल **शीर्ष पदों को छोड़कर शेष सभी रिक्त पदों को फ्रीज माना जायेगा और यदि ऐसे किसी पद का भरा जाना नितान्त आवश्यक समझा जाय जो उसके संबंध में भी वही प्रक्रिया अपनायी जाय, जो पदों के सृजन के सम्बन्ध में अपनाई जाती है।**

4. प्रशासकीय विभाग अपने स्तर पर पदों की संख्या और इनके सृजन के अनुश्रवण के संबंध में आवश्यक व्यवस्था करायें। इन आदेशों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी।

5. कृपया इन आदेशों की प्राप्ति भी स्वीकार की जाय।

भवदीय,
जे0 ए0 कल्याणकृष्णन्,
मुख्य सचिव।

संख्या-।।84(।)/44-2-87, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
2. महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
नीरा यादव,
सचिव।